ज्ञापांक.....1065...../पी0–2

13–04–03–2013

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक,
बिहार।

पटना, दिनांक :– 08/4/16

विषयः– सिपाही से सहायक अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु मनोनयन के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सहायक अवर निरीक्षक के रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्नति देने के लिए सिपाहियों का मनोनयन अपेक्षित है।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र सं0–11/आ0नी0–।–03–16 सा0प्र0–4800, दिनांक–01.04.16 के द्वारा राज्यधीन सेवाओं में मूल कोटि में वरीयता सह योग्यता के आधार पर प्रोन्नति दिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निदेश प्राप्त है। सिपाही से स0अ0नि0 की कोटि में दिनांक–23.12.89 तक के नियुक्त सिपाहियों को स0अ0नि0 कोटि में प्रोन्नति दिया जा चुका है।

अतएव अनुरोध है कि मूल कोटि में वरीयता सह योग्यता के आधार पर सिपाही से स0अ0नि0 कोटि में प्रोन्नति देने हेतु विचारार्थ दिनांक 23.12.89 तक के छुटे हुये मामलों के साथ वर्ष 1994 तक नियुक्त पी0टी0सी0 उर्त्तीण सिपाहियों का सहायक अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु क्षेत्रीय चयन पर्षद की अनुशंसित मनोनयन तीन प्रतियों में सी0डी0 एवं सेवापुस्ति सहित निम्नलिखित प्रपत्र में पुलिस मुख्यालय में प्राप्त करा देना सुनिश्चित किया जायः–

सिपाही से स0अ0नि0 की कोटि में प्रोन्नति हेतु मनोनयन का प्रपत्रः–

क0	ब्रास नं0/नाम	गृह जिला	आरक्षण कोटि	पदस्थापन जिला / इकाई	जन्म तिथि	सिपाही के पद पर नियुक्ति की तिथि	मैट्रिक पास करने का वर्ष	हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उर्त्तीण करने की तिथि	पी0टी0सी0 उर्त्तीण करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

वृहद सजा (वि0का0 में घटना की तिथि) सहित	लंबित वि0का0/ 82 8(सी0)	पूर्व पदस्थापन विवरणी (तिथि सहित)	क्षेत्रीय चयन पर्षद की अनुशंसा	अभ्युक्ति
11	12	13	14	15

साथ ही वैसे सिपाही जिन्हे पुलिस मुख्यालय द्वारा सहायक अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति दे दी गयी है, परंतु किसी कारणवश उनकी प्रोन्नति का जिलादेश/क्षेत्रादेश निर्गत नही हुआ है एवं मार्गदर्शन अपेक्षित है उनका भी उपरोक्त प्रपत्र में अभिलेख अंकित करते हुए पुलिस मुख्यालय के प्रोन्नत्यादेश का ज्ञापांक/दिनांक जिसके द्वारा उन्हे स0अ0नि0 कोटि में प्रोन्नति दी गयी एवं जिलादेश एंव क्षेत्रादेश निर्गत नही किए जाने का कारण का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय चयन पर्षद की अनुशंसा सहित मनोनयन पुलिस मुख्यालय को पन्द्रह दिनों के अन्दर अवश्य उपलब्ध कराया जाय। मनोनयन हर हालत में विहित प्रपत्र में ही भेजी जाय।

8/4/16

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः– 1. पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
2. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

(Sunil K) 63

पत्र संख्या–11/आ0नी0–I–03/2016 सा0प्र0 4620
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सभी विभागाध्यक्ष।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।

पटना–15, दिनांक 21-04-2016

विषय :– राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपुर्यक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार की सेवाओं में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को विभागीय संकल्प संख्या–14425 दिनांक–23.08.1971 द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया गया।

2. 85वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा आरक्षित वर्ग के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी वरीयता का लाभ भी उपलब्ध कराया गया। इस संशोधन के बाद विभागीय संकल्प संख्या–213 दिनांक–07.06.2002 निर्गत करते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण के साथ–साथ परिणामी वरीयता का लाभ निम्नवत् प्रदान किया गया :–

"अपेक्षाकृत बाद में प्रोन्नत सामान्य, अन्य अनारक्षित के सरकारी सेवक आरक्षण नियम के अन्तर्गत पहले प्रोन्नति पाये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों से कनीय होंगे।"

3. विभागीय परिपत्र संख्या–745 दिनांक–05.02.2008 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि वरीयता में आने पर प्रोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की गणना गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी। इस परिपत्र को सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–5649/2008, अरूण प्रसाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के स्तर से दिनांक–08.07.2011 को पारित न्याय निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविलि)–61/2002, एम0 नागराज एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक–19.10.2006 को पारित न्याय निर्णय का अनुपालन करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–11635 दिनांक–21.08.2012 द्वारा प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा परिणामी वरीयता के साथ अगले आदेश तक जारी रखी जाय।

5. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–19114/2014 सुशील कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–05.08.2014 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में विभागीय आदेश, ज्ञापांक–11218 दिनांक–12.08.2014 द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रहेगी।

6. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–19114/2012, सुशील कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–04.05.2015 को पारित न्याय निर्णय में संकल्प संख्या–11635 दिनांक–21.08.2012 को रद्द कर दिया गया है।

7. इस न्याय निर्णय के विरूद्ध दायर एल0पी0ए0 संख्या–1066/2015, बिहार राज्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–30.07.2015 को पारित न्याय निर्णय द्वारा एल0पी0ए0 को Dismiss कर दिया गया है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपर्युक्त न्याय निर्णय के विरूद्ध एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–29770/2015 दायर किया गया है, जो सुनवाई हेतु विचाराधीन है।

9. साथ ही सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–16366/2015, बीरेन्द्र कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–15.02.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा विभागीय आदेश ज्ञापांक–11218 दिनांक–12.08.2014 को Quash कर दिया गया है। इस याचिका में पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नांकित है :–

Since things have come to a stand still since August, 2014 in matters of grant of promotion and further since the Court does not find any judicial reason to allow the General Administration Department to continue with the order dated 12/08/2014 to occupy the field, the Court is left with no option but to quash the order No. 11218 dated 12/08/2014.

It is clarified that any promotion granted in view of the above to any of the government servants will not be a substantive promotion and will not create a right in their favour and it will surely be subject to the law to be declared by the Apex Court in the SLP of the State.

10. एल0पी0ए0 संख्या–1066/2015, बिहार राज्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में दिनांक–30.07.2015 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के खण्डपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय तथा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–16366/2015, बीरेन्द्र कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–15.02.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय के अनुपालन हेतु विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिए गये हैं :–

11. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–16366/2015, बीरेन्द्र कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–15.02.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में प्रोन्नति संबंधी डी0पी0सी0 की बैठक को स्थगित रखने निमित विभागीय आदेश ज्ञापांक–11218 दिनांक–12.08.2014 को वापस लेते हुए प्रोन्नति की प्रक्रिया को निम्नरूपेण प्रारम्भ करने का निर्णय लिया जाता है :–

(i) *अगले आदेश तक उच्चतर पदों पर संवर्गीय प्रोन्नति पद सोपान के मूल कोटि की वरीयता के आधार पर दी जायेगी।*

(ii) *उच्चतर पदों पर संवर्गीय प्रोन्नति वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर दी जायेगी। चूँकि इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आरक्षण एवं परिणामी वरीयता का लाभ तत्काल अगले आदेश तक देय नहीं होगा, अतः इस निमित रोस्टर क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं होगी।*

(iii) चूँकि एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, अतः आरक्षण एवं परिणामी वरीयता के आधार पर पूर्व में प्रोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की वर्त्तमान में धारित पद के अनुसार यथास्थिति बनायी रखी जायेगी तथा उन्हें तत्काल पदावनत नहीं किया जायेगा।

(iv) इस आदेश के तहत दी जाने वाली संवर्गीय प्रोन्नतियाँ औपबंधिक होंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी।

(v) एतद् संबंधी पूर्व निर्गत आदेश/संकल्प/परिपत्र आदि के असंगत अंश (यदि हो) इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

(vi) यह आदेश तुरत प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

1.4.2016

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0–I–03/2016 सा0प्र0 4800 पटना–15, दिनांक– 01-04-2016

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

1.4.2016

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0–I–03/2016 सा0प्र0 4800 पटना–15, दिनांक– 01-04-2016

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अनुसूचित जाति राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अनुसूचित जनजाति राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विश्वविद्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

1.4.2016

सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/MANALESH - HINDI LETTER